न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी– उज्ज्वल राठौड़, I.A.S.

अपील संख्या–15 / 2021 (सू0 का अधि0)

श्री हिमांशु राजावत आत्मज श्री चन्द्रवीर सिंह निवासी मकान नम्बर 260, राधा विलास, फूल बिहारी जी के मन्दिर के पास, ''उदयपुर हाउस'' मैन रोड़ पाटनपोल कोटा (राज0)

–अपीलार्थीया

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, एवं अति0 जिला कलक्टर कोटा

–प्रत्यर्थी

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांक 20 / 10 / 2021

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं श्री हिमांशु राजावत आत्मज श्री चन्द्रवीर सिंह निवासी मकान नम्बर 260, राधा विलास, फूल बिहारी जी के मन्दिर के पास, ''उदयपुर हाउस'' मैन रोड़ पाटनपोल कोटा ने दिनांक 28.06.2021 को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलक्टर कोटा के यहाँ एक प्रार्थना पत्र पेश कर निम्न सूचना चाही गयी है –

1. आवेदक ने श्रीमान जिला कलेक्टर कोटा को एक प्रार्थना पत्र दिनांक 2.3.2021 जरिये रजिस्टर्ड डाक क्रमांक (RR532324338) द्वारा प्रेषित किया था एवं इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं होने पर आवेदक ने एक स्मरण पत्र भी दिनांक 19.3.2021 को व्यक्तिगत उपस्थित होकर प्रस्तुत किया था । अतः उक्त प्रार्थना पत्र एवं स्मरण पत्र पर जिला कलक्टर कोटा एवं संबंधित अधिकारी /कर्मचारी द्वारा प्रतिदिन की कार्यवाही की समस्त पत्रावली की प्रमाणित प्रतिलिपि आवेदक को उपलब्ध करवाई जावें ।
2. उक्त प्रार्थना पत्र एवं स्मरण पत्र पर संबंधित अधिकारी /कर्मचारी द्वारा कोई नोटशीट चलाई गई हो तो उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि दी जावें ।
3. उक्त प्रार्थना पत्र एवं स्मरण पत्र पर कार्यवाही करने वाले अधिकारी /कर्मचारी का नाम व पद बताया जाये ।
4. उक्त प्रार्थना पत्र एवं स्मरण पत्र को आपके कार्यालय के संबंधत अधिकारी /कर्मचारी ने जिस दस्तावेज आवक/जावक रजिस्टर में विवरण दर्ज किया था उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि दी जावें ।
5. उक्त प्रार्थना पत्र एवं स्मरण पत्र जिला कलक्टर कोटा एवं संबंधित अधिकारी /कर्मचारी ने जिस दस्तावेज आवक/जावक रजिस्टर में विवरण दर्ज किया था उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि दी जावें ।
6. उक्त प्रार्थना पत्र एवं स्मरण पत्र के संबंध में कार्यालय जिला कलक्टर कोटा द्वारा बनाई गई पत्रावली के फाईल कवर के फ्रन्ट पेज की प्रमाणित प्रतिलिपि दी जावें ।

जिला कलेक्टर
कोटा

7. उक्त प्रार्थना पत्र एवं स्मरण पत्र का निस्तारण कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट कोटा द्वारा कब तक कर दिया जायेगा एवं आवेदक को इसकी सूचना कब तक मिल जायेगी ।

उपरोक्त सूचना प्रार्थी को प्राप्त हो गई किन्तु दी गई सूचना के दौ पृष्ठों में से प्रथम पृष्ठ पर लोक सूचना अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं होने व कार्यालय की मोहर भी अंकित नहीं होने से उक्त आदेश की प्रमाणिकता पर प्रश्नवाचक लगना मानते हुए नवीन सूचना चाही जाने हेतु प्रार्थी द्वारा इस न्यायालय में दिनांक 03.09.2021 को प्रथम अपील प्रस्तुत की गई, जो दिनांक 14.09.2021 को दर्ज रजिस्टर की जाकर अपील के सम्बन्ध में लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलक्टर कोटा से प्रकरण के सम्बन्ध में वांछित टिप्पणी एवं रेकार्ड तलबी हेतु पत्र जारी किया गया । अपीलांट को भी सुनवाई हेतु सूचना पत्र जारी किया गय अपीलान्ट उपस्थित है। किन्तु लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलक्टर कोटा से वांछित टिप्पणी एवं रेकार्ड अप्राप्त है ।

हमने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील एवं लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रार्थी अपीलांट को उपलब्ध कराई गई सूचना का अवलोकन किया, जिससे अपीलांट के इन कथनों की पुष्टि होती है कि प्रार्थी अपीलांट को उपलब्ध कराई गई सूचना के दौ पृष्ठों में से प्रथम पृष्ठ पर लोक सूचना अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है ओर ना ही कार्यालय की मोहर अंकित की गई है जो आवश्यक है, तथा प्रार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी के कार्यालय में आवेदन पत्र भी दिनांक 28.6.2021 को प्राप्त हो चुका था जिसकी प्राप्ति लिपिक द्वारा रसीद दी गई है उसमें भी दिनांक 28.6.2021 अंकित है किन्तु प्रार्थी अपीलार्थी को पत्र क्रमांक/सूचना/प–119ए/2021 369 दिनांक 4.8.2021 से उपलब्ध कराई गई सूचना में आवेदन प्राप्ति दिनांक 29.6.2021 अंकित किया गया है । ऐसी स्थिति में अपील स्वीकार योग्य है ।

परिणामस्वरूप अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलक्टर कोटा को आदेश दिये जाते है कि अपीलार्थी को पत्र दिनांक 4.8.2021 से उपलब्ध कराई गई सूचना को प्रमाणित करते हुए प्राप्ति दिनांक का संशोधन किया जाकर वांछित सूचना अपीलांट को 15 दिवस में निःशुल्क उपलब्ध कराई जावें ।

निर्णय आज दिनांक 20.10.2021 को लिखाया गया ।

(उज्ज्वल राठौड़)
अपील अधिकारी एवं
जिला कलेक्टर, कोटा

जिला कलेक्टर
कोटा